(7)

प्रतिवेदन

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बौला से श्रीकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.280 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे0 कुल भूमि 0.320 हे0 लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा में जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बौला से श्रीकोट तक मोटर मार्ग की स्वीकृत शासनादेश संख्या 1971/(1)/111(2)/13–55 (प्रा0आ0)/2012 दिनांक 14/03/2013 के द्वारा 2.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 25.16 लाख की प्राप्त हुई हैं। मार्ग निर्माण की वास्तविक लम्बाई 0.875 कि0मी0 आती है। प्रस्तावित मोटर मार्ग गौचर–सिदोली मोटर मार्ग के कि0मी0 06 से प्रारम्भ हो कर श्रीकोट गॉव तक जाता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम–श्रीकोट प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछडे क्षेत्र यातायात से जुड जायेगे। इनका समग्र विकास होगा तथा साथ ही ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय कर्णप्रयाग से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। तथा अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी तथा उचित दाम पर बेच सकेगें, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरेखण इस प्रकार निर्धारित किया गया है की मार्ग निर्माण न्यूनतम आरक्षित/सिविल/वन पंचायत भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग पर पडने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

1–वन पंचायत भूमि 0.400 कि0मी0 x 7 मी0	=	0.280 हे0
2–नाप भूमि 0.475 कि0मी0 x 7मी0	=	0.332 हे0
3–मक डिस्पोजल हेतु	=	0.040 हे0
योग	=	0.652हे0 ।

अतः मार्ग निर्माण हेतु 0.320 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल प्लान सहित प्रस्ताव गठित कर लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर	सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर	अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर